यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड हरिद्वार के माह 09/2017 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा श्री एस.के. जौहरी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 01.09.2018 से 14.09.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इकाई की विगत लेखा परीक्षा दिनांक 21.09..17 से 03.10.17 की अवधि में श्रीरामवीर सिंह सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा श्री ए. सी. कटियार वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्येवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमे माह 07/2016 से 08/2017 तक की अवधि के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा की गयी I वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2017 से 8/2018तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **(अ) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** ग्रामीण निर्माण विभाग के अधीन प्रखंड के परिसीमन में आने वाले समस्त क्षेत्र में ग्रामीण विकास के निर्माण कार्यों का सम्पादित किया जाना।

   (ब) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु. लाख में)

वर्ष	आवंटन		व्यय		बचत / अभ्यर्पण	
	स्थापना में	गैर स्थापना	स्थापना में	गैर स्थापना	स्थापना में	गैर स्थापना
2015-16	195.18	2410.77	195.18	2114.57	00	1329.74
2016-17	246.26	2214.10	246.26	2229.63	00	1314.21
2017-18	338.69	2584.92	336.07	2317.77	2.61	1581.36
2018-19 upto july 2018	370.22	1979.07	165.84	1269.73	--	2290.70

नोट- 2014-15= 1033.54 लाख पूर्व वर्ष का अवशेष है। जिसे अगले वर्ष के आवंटन में सम्मिलित किया जाता है।

ब - (केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत इकाई को प्राप्त धनराशि -शून्य

(ii) इकाई को बजट आवंटन सचिव ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई, "ए"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा संलग्न हैः

तकनीकी संवर्गः- 1. मुख्य अभियंता 2. मुख्य अभियंता स्तर-2 3. अधीक्षण अभियंता परिमण्डल वार 4. अधिशासी अभियंता प्रखण्ड वार 5. सहायक अभियंता 6. कनिष्ट अभियंता

गैर तकनीकी संवर्गः- 1. वित्त नियंत्रक 2. खण्डीय लेखाकार/खण्डीय लेखाधिकारी

3. प्रशासनिक अधिकारी 4. प्रधान सहायक 5. कनिष्ट सहायक

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- रु. 27.87 लाख अधोमानक कार्य।

ग्राम ढाधेकि भूरनी से दाबकी कलाँ तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । शासन द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु रु. 49.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी (03/ 2016)। उक्त के क्रम मे अधिशासी अभियंता हरिद्वार द्वारा रु. 49,00,000/- की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त कार्य के अंतर्गत 0.750 किमी लम्बाई मे तथा 7.00 मीटर चौड़ाई मे मिट्टी भरान का कार्य कर डब्लू बी एम के अंतर्गत सोलिंग कोट, द्वितीय कोट तथा तृतीय कोट का कार्य कर 02 सेमी मोटी पी सी डाले जाने का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त सुरक्षात्मक कार्य के रूप मे 75 मी पक्की ड्रेन तथा 1.50 मीटर स्पान की 01 आर सी सी पुलिया बनाए जाने का भी प्रावधान किया गया था। कार्य के सम्पादन हेतु रु. 30,43,031/- की धनराशि का अनुबंध किया गया था, जिसके अंतर्गत रु. 27.87 लाख का अंतिम भुगतान ठेकेदार को किया गया।

लेखा परीक्षा मे पाया गया कि निम्नवत तालिका मे वर्णित कार्य यथा मार्ग की सुरक्षा हेतु आवश्यक ड्रैनेज के 06 कार्य तथा ब्रेस्ट वाल एवं रिटेनिंग वाल संबंधी निम्नवत 08 कार्य तथा पुलिया निर्माण का कार्य किया ही नहीं गया। साथ ही बिटुमिनस कार्य के अंतर्गत मार्ग की मजबूती हेतु आवश्यक “Primor coat with bitumen emulsion” का कार्य भी नहीं किया गया। ड्रैनेज कार्य नहीं कराये जाने तथा आर सी सी पुलिया का निर्माण नहीं कराये जाने से मार्ग पर बरसाती पानी के जमा होने पर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने साथ ही रिटेनिंग वाल/ब्रेस्टवाल का निर्माण नहीं किए जाने से मार्ग के धसने/मलवा आने पर क्षतिग्रस्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जबकि कार्य की कुल अनुबंधित लागत 30.43 लाख है, रु.13.62 लाख के अनुबंधित कार्यों को न कर विभाग द्वारा अधोमानक कार्य किया गया ।

Item	Quantity as Per bond	Executed quantity	Unused Amount
Excavation in soil	67.50cum	nil	2443.50
PCC 1:3:6 nominal mix	9.00 cum	nil	37543.50
Brick masonry work	13.80 cum	nil	76854.96
Plastering 1:4 cement	97.50 sqm	nil	11904.75
P&L CC 1:2:4	2.25 cum	nil	10688.40

Construction of KC drain	1020 rm	nil	747456.00
P&L Prime coat	2475.00 sqm	nil	101970.00
RCC m-15 grade Km stone	02	nil	3948.40
RCC in M-20 in sub structure	16.37 cum	nil	95324.15
Centaring Shuttering	26.18 sqm	nil	10249.47
HYSD bar reinforcement	1.93 tonn	nil	120796.11
Back filling behind abutment	6.60 cum	nil	11260.26
Weepholes in brick masonary	14 No.	nil	2179.80
Brick masonry in cement 1:4	20.25 cum	nil	112776.30
Semi reflective signboard	5 No.	nil	16236.00
Balance work			13,61,632

उक्त महत्वपूर्व कार्यों को नहीं किया जाना इकाई की लापरवाही एवं उदासीनता का प्रतीक है। लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि मार्ग के दोनों ओर किसानो के खेत हैं ,किसानो द्वारा मार्ग की सीमा व अपने खेत की सीमा पर पापुलर के पेड़ लगाए हुए थे, पेड़ो के गिरने के डर से किसानो द्वारा KC Drain बनाए जाने का विरोध किया गया। मार्ग पर पहले से कोई भी पुलिया नहीं थी ,हमारे द्वारा जैसे ही पुलिया निर्माण हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया डाउन स्ट्रीम मे पड़ने वाले किसान ने कार्य बंद करा दिया और कहने लगा की पुलिया बनने से मेरी फसल को नुकसान होगा, मैं किसी भी तरह पुलिया नहीं बनने दूंगा। उक्त प्रकरण की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गयी। उच्चाधिकारियों द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार कार्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। परिपालन मे निर्देशों के अनुसार ही कार्य कराया गया । पुलिया के न बनने से पुलिया की सभी मदें बची रह गयी। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है तथा विभागीय कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कार्य करने से पूर्व विभाग द्वारा सर्वे कर कार्य स्थल की वस्तुस्थिति तथा स्थानीय लोगो की राय लेकर परिस्थिति के अनुकूल कार्य आरंभ कराया जाना चाहिए था परंतु उक्त कार्यवाही न किए जाने से विभाग द्वारा अधोमानक कार्य किया गया एवं इस कार्य हेतु ठेकेदार को रु. 27.87 लाख का भुगतान किया गया। इस प्रकार रु. 27.87 लाख के अधोमानक कार्य का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- निर्माण विभाग द्वारा हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से सैंटेज चार्जेज की वसूली नहीं किया जाना रुपये 8.77 लाख।

सचिव हरिद्वार रुड़की प्राधिकरण (ग्राहक विभाग) तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, अब ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- हरिद्वार (निर्माण एजेंसी) के मध्य एक समझौता ज्ञापन दिनांक 06 जून 2017 को, कनखल हरिद्वार में लाटोवाली पुलिया साईफनसे सोमेश्वर धाम तक नहर के साथ पाइप द्वारा नाली निर्माण का कार्य हेतु गठित किया गया था जिसमें निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत लागत प्रतिशत प्रभार (सेंटेज प्रभार) तथा समस्त अन्य प्रभार सहित रु. 59,28,840.00 थी। यह भी सहमति हो गई थी कि लागत में निर्माण एजेंसी को देय कुल सेंटेज प्रभार तथा 3.00 प्रतिशत कंटिनजेंसी सहित समस्त अन्य प्रभार सम्मिलित थे।

अधिशासी अभियंता हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (ग्राहक विभाग) के पत्रांक- 2372अभि.1(क)-16/2017-18 दिनांक 31 अक्टूबर 2017 द्वारा रुपये 23 लाख की धनराशि चैक संख्या 336995 के माध्यम से तथा रुपये 30 लाख पूर्व में कुल 53 लाख कार्य सम्पादन किये जाने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड हरिद्वार के पत्र में प्रेषित की गई थी।

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जांच में पाया गया कि, भवन निर्माण कार्य का अनुबंध संख्या-01/ग्रा.नि.वि./अधि.अभि./2017-18/ दिनांक 07.06.2017 मु. 56,41,823/- रु. मात्र का मै. राव कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रो. श्री मोविन अली के नाम गठित किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 07.06.2017 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 06.07.2017 थी। आगे यह भी पाया गया कि कार्य के अनुबंध की धनराशि रुपये 56,41,823 के सापेक्ष मै. राव कस्ट्रक्शन कम्पनी प्रो. श्री मोविन अली के पंचम चल लेखा बिल (5th running bill) के माध्यम से रुपये 87,71,000 का भुगतान किया गया। जिस पर विभाग द्वारा हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से रुपये 8.77 लाख की सैंटेज चार्जेज की वसूली नहीं की गई ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विकास द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि सैंटेज चार्जेज का प्रावधान नहीं किया गया थी। सैंटेज चार्जेज वसूल किये जाने के संबंध में ग्राहक विभाग से कई वार मौखिक अनुरोध किया गया है तथा ग्राहक विभाग द्वारा मौखिक रुप से अवगत कराया गया कि सैंटेज चार्जेज को शासन स्तर से खारिज कराने हेतु उनके स्तर से कार्यवाही गतिमान है। विभाग का उत्तर मिथ्या था क्योंकि समझौता ज्ञापन दिनांक 06 जून 2017 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत लागत रुपये 59,28,840 में प्रतिशत प्रभार तथा समस्त अन्य प्रभार (सैंटेज प्रभार) सम्मिलित थे। तदनुसार रुपये 87,71,000 के अद्यतन निर्माण कार्य पर 10 प्रतिशत की दर से रुपये 8.77 लाख की सैंटेज चार्जेज की वसूली, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरम से की जानी अपेच्छित थी। अतः ग्राहक विभाग से रुपये 8.77 लाख की सैंटेज चार्जेज की वसूली नहीं किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर -1- रु. 280.13 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा जाना।

(i) खंड की निक्षेप पंजिका भाग तीन का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि विभिन्न ग्राहक विभागों द्वारा निक्षेप कार्यो के अंतर्गत अपने विभाग हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों को कराने हेतु कार्यदाई संस्था के रूप मे विभाग को धनराशि प्रदान की गयी थी। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राहक विभागों द्वारा उक्त निर्माण कार्यों हेतु धनराशि 18 माह से लेकर 85 माह की अवधि पूर्व प्रदान की गयी थी परंतु विभाग द्वारा उक्त कार्यों को इतनी अवधि मे भी पूरा न कर अपूर्ण रखा गया था तथा उक्त कार्यों की धनराशि को अवरुद्ध रखा गया था जिससे भविष्य मे न सिर्फ इन निर्माण कार्यों की लागत बढ़ेगी बल्कि संबन्धित विभाग भी इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से मिलने वाले लाभ से वंचित थे। निक्षेप कार्यों के अंतर्गत 10 विभागों के 31 कार्यों (संलग्नक -1) की रु.192.05 लाख की धनराशि विभाग की लापरवाही के चलते लगभग 1.5 वर्ष से लेकर 07 वर्ष तक की अवधि से अवरुद्ध रखी गयी थी।

(ii) इसी प्रकार विभाग द्वारा निक्षेप कार्यों के रूप मे किए जा रहे कार्यों के अंतर्गत निर्माण कार्ये प्रगति संबंधी रिपोर्ट (अगस्त 2018) का अवलोकन करने पर पाया गया कि 07 विभागों के 30 कार्यो को पूर्ण कर लिया गया था (संलग्नक -2),परंतु लेखा परीक्षा अवधि (अगस्त 2018) तक न तो उन कार्यो को हस्तांतरित किया गया था एवं न ही उन कार्यों की अवशेष धनराशि रु. 88.08 लाख को संबन्धित विभागों को वापस किया गया था। इस प्रकार कार्यों के पूर्ण हो जाने के पश्चात भी उक्त धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि वर्णित अधिकांश कार्ये पूर्ण हो चुके है तथा कुछ कार्यों मे समय –समय पर विवाद होने के कारण कार्ये प्रगतिरत हैं ,वर्णित अवशेष धनराशि मे कार्यालय आकस्मिक व्यय का प्रावधान आंगणन मे होने के कारण अवशेष है। वांछित अवशेष धनराशि को संबन्धित विभाग को वापस करा दिया जाएगा, तथा कतिपय कार्यों का अंतिम भुगतान कार्यों को हस्तांतरण करने के उपरांत किया जाता है जिस कारण ठेकेदारों के अंतिम देयकों की धनराशि शेष है ,कार्ये हस्तांतरण के उपरांत वर्णित अवशेष धनराशि समायोजित हो जाएगी। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि संलग्नक -1 के कार्यों हेतु धनराशि विगत 18 माह से लेकर 85 माह तक की अवधि पूर्व प्राप्त हुई थी ,इनमे से अधिकांश कार्ये लंबे समय से अपूर्ण पड़े थे एवं उनको पूर्ण करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे, साथ ही जिन कार्यों को पूर्ण बताया जा रहा है उनके हस्तांतरण के कोई प्रमाण लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा उन कार्यों की धनराशि निक्षेप पंजिका मे विगत 01 वर्ष से अवरुद्ध प्रदर्शित हो रही थी। इसी प्रकार लेखा परीक्षा अवधि मे (संलग्नक -2 के अनुसार) 07 विभागों के 30 निर्माण कार्यों को 02 माह से लेकर 27 माह की अवधि पूर्व ही पूरा किया जा चुका था परंतु इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी इन कार्यों की अवशेष धनराशि को संबन्धित विभागों को वापस न कर अवरुद्ध रखा गया था। इकाई का यह कहना कि ठेकेदारों के अंतिम देयकों कि धनराशि शेष है पूर्णतः अनुचित है क्योकि इसका कोई प्रमाण लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार इकाई द्वारा निक्षेप कार्यों के अंतर्गत कुल रु. 280.13 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

संलग्नक 1-

(धनराशि रु. मे)

विभाग का नाम	**कार्य का नाम**	**धनराशि प्राप्त होने का माह**	**को 2018/07 अवशेष धनराशि**
ग्राम्य विकास	विभिन्न विकास खण्डों में एक-एक देवभूमि/जनमिलन केंद्र की स्थापना	01/2014	298199
	वि०ख० रुड़की में टाइप –II(०न 5)अनवासीय भवन	2016/12	370476
	विकास भवन परिसर रोशनाबाद में अनुरक्षण एवं सुद्रीकरण	2016/10	482000
	ग्राम खेड़ी शिकोहपुर में नाला निर्माण	2016/06	133338
जिलाधिकारी	सिटी मजिस्ट्रेट हरिद्वार कार्यालय के श्रेणी 2 के आवासीय भवन	2016/12	278270
शिक्षा	रा०इ०का० बुगगवाला में विज्ञान प्रयोगशाला	2014/12	211935
	रा०इ०का० महाराजकला (लक्सर) में भवन कक्ष	2014/12	321667
	रा०इ०का० भैरी(रुड़की) में कक्षा कक्ष	2014/12	165719
	रा०इ०का०सिकंदरपुर भैस्वाल(भगवानपुर)में कक्षा कक्ष	2015/11	162017
	रा०इ०का० जीतपुर (बहदराबाद)में कक्षा कक्ष	2014/01	190221
	रा०इ०का० पथरी (बहदराबाद) में कक्षा कक्ष	2016/01	203462
रमसा	रा०उ०मा०वि० जस्सावाला का भवन निर्माण	2017/02	2144159
	रा०उ०मा०वि० बंजोखला का भवन निर्माण	2017/02	696348
	रा०उ०मा०वि० सलियर का भवन निर्माण	2017/02	1339316
	रा०उ०मा०वि० ननेडा अनंतपुर का भवन निर्माण	2017/02	1385911
पशुपालन	पशुसेवा केंद्र कुंडलाना का भवन निर्माण	2012/02	404154
	पशुसेवा केंद्र सलेमपुर का भवन निर्माण	2012/02	146677
	पशुसेवा केंद्र दंडेरा आसफनगर का भवन निर्माण	2016/12	2334592
	पशुसेवा केंद्र मोहम्मदपुर का भवन निर्माण	2012/02	520633
होम्यो	होम्यो चिकित्सा कार्यालय रोशनबाद में टाइप –II क्वार्टर का निर्माण	2016/01	176085
	होम्यो चिकित्सा कार्यालय रोशनबाद में दो अनवासीय भवन (टाइप –II) का निर्माण	2016/01	615111

संस्कृति	राजा विजय सिंह कुँवर बहादुरपुर स्मारक का अवशेष कार्य	2012/07	525000
पर्यटन	कड़च्छ ज्वालापुर में विभिन्न कार्य	2011/07	1865517
	लक्सर के ग्राम मुजाहिद में अवधूत चन्द्रदेव स्थल का सौंदर्यकरण	2011/07	548814
प्रसार प्रशिक्षण केंद्र	महिला छात्रावास का निर्माण	2013/10	369916
समाज कल्याण	ग्राम बेल्ड़ा में बारात घर का निर्माण	2015/10	521512
	आंगनवाड़ी केन्द्रों की नाम पट्टिका स्थापित करना 245	2015/07	407594
	ग्राम खेड़ी खुर्द में कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण	2016/10	684188
	ग्राम भगवानपुर चन्दनपुर में कब्रिस्तान की चाहारदीवारी का निर्माण	2016/10	472627
	ग्राम चुड़ियाला में कब्रिस्तान की चाहारदीवारी का निर्माण	2016/10	970755
	ग्राम रामपुर में कब्रिस्तान की चाहारदीवारी का निर्माण	2015/07	259129
			1,92,05,342

संलग्नक 2-

(धनराशि लाख रु. मे)

विभाग का नाम	कार्ये का नाम	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	पूर्ण होने का माह
पर्यटन	वार्ड01कड़च्छ का पर्यटन विकास	48.39	31.32	17.07	05/2016
रमसा	रा.उ.मा.वि ननहेड़ा रूड़की	75.23	68.64	6.59	07/2018
	रा.उ.मा.वि सलियर रूड़की	101.47	65.91	35.56	07/2018
प्रसार प्रशिक्षण केंद्र गुरुकुल काँगड़ी	महिला छात्रावास का निर्माण	72.49	67.14	5.35	05/2018
राजस्व	जिलाधिकारी शिविर कार्यालय मायापुर मे अनुरक्षण कार्ये	3.85	3.10	0.75	04/2018
	अपर जिलाधिकारी आवास पर अनुरक्षण एवं रंगाई-पुताई	4.59	2.90	1.69	06/2018
	उप कोषागार भवन हरिद्वार मे भवन मरम्मत कार्ये	4.94	4.42	0.52	07/2018
पंचायती राज	रोशनाबाद मे ओमप्रकाश के मकान से वंदना कटियार के आवास तक निर्माण	15.78	14.40	1.38	06/2018
विधायक निधि	ग्राम भारापुर मे सीसी सड़क निर्माण	5.79	4.33	1.46	06/2018
	ग्राम ब्रह्मपुर मे अतरसिंह के मकान के सामने सीसी सड़क	3.76	2.78	0.98	06/2018
अवस्थापना निधि	गोविंदपुरी मे साई मंदिर के पीछे गली मे सीसी व नाली निर्माण	4.95	4.30	0.65	07/2018
	बंगाली बस्ती मे सीसी सड़क निर्माण	07/2018	3.69	0.61	
	बेरागी केंप मे शंकरानन्द आश्रम के पास सीसी निर्माण	07/2018	2.76	2.16	
	बंगाली बस्ती मे सुरक्षा दीवार	07/2018	2.72	1.74	
	ऋषिकुल मालवीय द्वार के पास सी सी निर्माण	07/2018	4.06	0.58	
	ऋषिकुलविध्यापीठ मे जिला साक्षारता समिति के पास सी सी मार्ग निर्माण	07/2018	4.39	0.55	

	नन्दविहार मे होटलबेसिल के पीछे वाली गली मे सीसी	07/2018	4.41	0.54	
	खरखड़ी मे रवीद्रमिश्रा के मकान से ईश्वरशर्मा के मकान के पास सीसी	07/2018	3.46	1.01	
	खरखड़ी मे मोद नारायन के मकान से प्रेमकुमार के मकान तक सी सी	07/2018	4.28	0.58	
	खरखड़ीमे ब्रह्मपालकेमकान से दीपककेमकानतक सीसी	07/2018	4.40	0.58	
	खरखड़ी मे बलदेव के मकान से गंगा राम के मकान तक सी सी	07/2018	2.92	0.89	
	भाबुता वाला बाग मे मेघनाथ मण्डल के घर से सुधीर के घर तक सी सी	07/2018	2.15	0.78	
	गंभीर मार्ग कॉलोनी मे हरपाल तोमर के घर के पास निर्माण	07/2018	4.26	0.73	
	गोविंदपुरी मे जैन के घर से मुकेश के घर तक सी सी निर्माण	07/2018	4.42	0.56	
	गोविंदपुरी मे लायन्स क्लब के सामने उमासदन के पास तक गली	07/2018	3.05	1.35	
	बंगाली बस्ती ब्रह्मपुरी मे यशपाल के घर के पीछे सुरक्षा दीवार	07/2018	1.19	1.44	
	बेरागीकैंप मे राजवीर के घर से नवीन केघरतक सी सी	07/2018	2.21	0.36	
	कनखल मे पहाड़ी बाज़ार मे सिपटु के घर से दशना के घर तक सी सी	07/2018	3.04	0.6	
	जग्गू घाट लाल मंदिर कॉलोनी मे धर्मपाल के मकान से विजयलक्ष्मी के मकान तक	07/2018	3.31	0.4	
	राजीव नगर मे ओमपाल के मकान से यशपाल के मकान तक सी सी	07/2018	4.34	0.62	
कुल धनराशि				**88.08**	07/2018

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अवधि	प्रस्तर संख्या
93/2017-18	07/16 एवं 08/17	भाग-दो(अ) – 01 भाग-दो(ब)-01,02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या तैयार कर प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	ई. रामजी लाल	अधि.अभि.	विगत लेखापरीक्षा से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजकि क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.